प्रेस नोट -दिनांक 18/11/2023

 नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले 02 शातिर वांछित गिरफ्तार।

 रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर दिया था फर्जी नियुक्ति पत्र।

 बेरोजगार युवा को नौकरी का झांसा देकर किये थे 08 लाख रुपये की ठगी।

 पुलिस अधीक्षक चन्दौली डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में की गई बड़ी कारवाई।

 पुलिस टीम गठन कर अभियुक्तगण को उनके घर पश्चिम बंगाल से किया गया गिरफ्तार।

 थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को मा0 न्यायालय जनपद मुर्सिदाबाद पश्चिम बंगाल के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड बनवाने के पश्चात लाकर कर रही है विधिक कार्यवाही।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली डा0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनय कुमार सिंह तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी सकलडीहा श्री राजेश राय के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक महोदय श्री विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन एवं रणनीति बनाकर उ0नि0 अश्वनी कुमार राय, हे0का0 रामबिहारी सिंह, हे0का0 मेराज अहमद के थाना जियागंज मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल भेजकर मु0अ0सं0-118/23 धारा 419/420/467/468/471/120बी/406/504/506भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.कामेश्वर राम पुत्र स्व0 पुर्णमासी राम निवासी चाईपारा गुलजारबाग थाना जियागंज जिला मुर्सिदाबाद पश्चिम बंगाल 2.सुरज कुंमार राम पुत्र कामेश्वर राम निवासी चाईपारा गुलजारबाग थाना जियागंज जिला

मुर्सिदाबाद पश्चिम बंगाल को उनके घर से दिनांक 14.11.2023 को समय 16.05 बजे गिरफ्तार करते हुए मा0 न्यायालय जनपद मुर्सिदाबाद पश्चिम बंगाल के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड बनवाने के पश्चात थाना बलुआ लाकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- वादी मुकदमा द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर कुल 08 लाख रुपये अभियुक्तगण 1. कामेश्वर राम पुत्र स्व0 पुर्णमासी राम 2. सुरज कुंमार राम पुत्र कामेश्वर राम निवासीगण चाईपारा गुलजारबाग थाना जियागंज जिला मुर्सिदाबाद पश्चिम बंगाल को नकद व अकाउन्ट में दिया गया तथा नौकरी हेतु फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बनाकर मुकदमा वादी को दिया गया जो कि फर्जी निकला। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को पैसा वापस न देने पर वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. कामेश्वर राम पुत्र स्व0 पुर्णमासी राम निवासी चाईपारा गुलजारबाग थाना जियागंज जिला मुर्सिदाबाद पश्चिम बंगाल

2. सुरज कुंमार राम पुत्र कामेश्वर राम निवासी चाईपारा गुलजारबाग थाना जियागंज जिला मुर्सिदाबाद पश्चिम बंगाल

आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-

मु0अ0सं0-118/23 धारा 419/420/467/468/471/120बी/406/504/506भादवि

गिरफ्तारी का स्थानः-

चाईपारा गुलजारबाग थाना जियागंज जिला मुर्सिदाबाद पश्चिम बंगाल से

समयः- 16.05 बजे दिनांक- 14.11.2023

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

प्र0नि0 विनोद कुमार मिश्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली

उ0नि0 अश्वनी कुमार राय थाना बलुआ जनपद चन्दौली

हे0का0 रामबिहारी सिंह थाना बलुआ जनपद चन्दौली

हे0का0 मेराज अहमद थाना बलुआ जनपद चन्दौली